न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 298/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/437

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1.जैसाराम पुत्र घेवरराम 2.देवाराम पुत्र घेवरराम 3.मूलाराम पुत्र घेवरराम 4.वीरोदेवी पत्नी घेवरराम जाति प्रजापत निवासी भगवानपुरा,तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.धनाराम पुत्र कानाराम 2.रणछोड़राम पुत्र कानाराम 3.भूराराम पुत्र मादाराम 4.शंकरराम पुत्र मादाराम 5.देवाराम पुत्र गिरधारीराम 6.बुदाराम पुत्र गिरधारीराम 7.सांवलराम पुत्र गिरधारीराम 8.खेताराम पुत्र दौलाराम 9.मिश्राराम पुत्र दौलाराम 10.हमीरा पुत्र खुबाराम जाति प्रजापत निवासी भगवानपुरा तहसील पचपदरा 11.प्रधानाध्यापक,राजकीय प्राथमिक विधालय सुधराणियो की ढाणी, तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 12.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री राजेन्द्रपालसिंह,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री पूनमाराम अधिवक्ता, विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी संख्या 3 से 12 एकपक्षीय।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.02.06 17:32:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक - 16.01.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का चिलानाड़ी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 4342/2884 क्षेत्रफल 01.7321 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का चिलानाड़ी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 4342/2884 क्षेत्रफल 01.7321 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री पुनमाराम की ओर से विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तरफ से वकालतनामा पेश किया गया तथा विप्रार्थी वकील की ओर से मौके की स्थिति में परिवर्तन किए बिना नेखमबंदी करने पर सहमति दी गई। विप्रार्थी संख्या 03 से 12 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि भगवानपुरा पटवार हल्का चिलानाड़ी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 4342/2884 क्षेत्रफल 01.7321 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है,इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का चिलानाड़ी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 4342/2884 क्षेत्रफल 1.7321 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4. वकील विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी [illegible] विप्रार्थी की खातेदारी भूमि अवस्थित है। लेकिन विप्रार्थी की ओर से प्रार्थीगण [illegible] में कभी भी दखलदान्जी नहीं की गई है और न ही प्रार्थीगण [illegible] हटाया गया है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि मौका स्थिति परिवर्तन किए बिना विवादित भूमि की नेखमबंदी की जाती है,तो आपति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.02.06 17:32:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

5. हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,सीमाज्ञान मौका फर्द व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का चिलानाड़ी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 4342/2884 क्षेत्रफल 01.7321 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदारान अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है। विवादित भूमि की सीमाज्ञान मौका फर्द दिनांक 13.11.2022 फोटो-प्रति अवलोकन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही सेढा पड़ौसियों द्वारा आपति जतायें जाने पर विवादित भूमि की सीमाज्ञान नहीं किया गया था। इससे यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि की सीमाओं को लेकर सेढा पड़ौसियों में विवाद है,जिसका निराकरण पैमाईष करवानें पर ही होगा। ऐसी सूरत में नेखमबंदी कार्यवाही प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें के हकदार है। वकील विप्रार्थी की ओर से बहस में जाहिर किया कि मौका स्थिति परिवर्तन किए बिना नेखमबंदी किए जाने पर आपति नहीं है। नेखमबंदी की कार्यवाही मौका स्थिति परिवर्तन किए बिना ही होती है,इस प्रकार विप्रार्थी वकील का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है,कि नेखमबंदी कार्यवाही में मौका स्थिति परिवर्तन होती है। प्रार्थीगण वकील अपने आवेदन पत्र को भली भांति साबित करने में सफल रहें है।

6. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम-भगवानपुरा पटवार हल्का चिलानाड़ी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 4342/2884 क्षेत्रफल 01.7321 हैक्टेयर भूमि की विधि में निहित प्रावधानों के तहत नियमानुसार सीमाज्ञान करते हुए विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। [illegible] होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.02.06 17:32:12 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश आज दिनांक 16.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा